

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समर्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी  
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न  
कि निरीक्षण अथवा प्राप्तिकारी के नाम से।  
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्ण में पत्र  
व्यवहार कुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक  
अवश्य लिखा जावे जिससे संविधान हो।



ग्राम : शूलीरिंदी  
दूरभाष : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सम्बन्धता/2013/6126

दिनांक: 28/02/13

## // सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध बी.डी.एम. बर्सिंग महाविद्यालय, ग्वालियर (0751-3191848) को सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एस.-सी. (बर्सिंग), तृतीय वर्ष पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बन्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है:-

(1) प्रो. राजीव जैन, आचार्य, रसायन अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।  
(0751-2442766)

(संयोजक)

(2) डॉ. रेणुका दास, पी.जी. कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कैंसर पहाड़ी, ग्वालियर।

(3) प्रो. डी.एन. गोखरामी, अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद, जी.वि.वि. ग्वालियर।

(4) प्रो. कै.एस. गक्कर, आचार्य, वाणिज्य एवं प्रबंधन अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के ग्रावधारों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुरू, धरोहर राशि, वार्षिक शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ़, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्डिनेट्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ़ की विद्युतियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें।

स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26 सितम्बर 2012 के पद क्रमांक 60 (आ-आ-2) पर लिये गये विर्णयानुसार निरीक्षण समिति द्वारा 30 दिन में महाविद्यालय का निरीक्षण कर 15 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे। जिससे कि सम्पूर्ण कार्यालयी (महाविद्यालय निरीक्षण की) 45 दिवस में पूर्ण हो सकेंगी एवं महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सम्बन्धता में विलम्ब नहीं होगा एवं यथा समय सम्बन्धता संबंधी कार्यालयी पूर्ण हो सकेंगी तथा शासन के विरेशों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

गठन के 45 दिवस में Report प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि महाविद्यालय का निरीक्षण नहीं हुआ है। नियमानुसार अर्थदण्ड जमा कराकर नवीन समिति गठित की जावेगी। जिसे 15 दिवस में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परिनियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बन्धता प्राप्त किए विवा छात्रों को प्रवेश देवा अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बन्धता शाखा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पन्नावली लेकर जावेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करावेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को डी.पी. / डी.ए. / मानदेव महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

गोट :- महाविद्यालय की मात्रा 30 शासन, जन शिकायत विवारण विभाग से फेलटी न होने की शिकायत प्राप्त हो रही है। यदि महाविद्यालय द्वारा इन शिकायतों का समाधान न किया हो तो उसे सम्बन्धता प्रदान की अनुशंसा न की जावे।

प्रतिलिपि :-

1. समर्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

सहायक कुलसचिव (सम्बन्धता)